भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2549

जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत व्यय में वृद्धि

2549. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत व्यय में वृद्धि के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान इस वृद्धि की वर्षवार दर क्या रही है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में, पॉलिसीधारक की आयु सहित कई कारकों के आधार पर प्रीमियम संरचित किए जाते हैं, जहाँ वृद्ध व्यक्तियों को आमतौर पर स्वास्थ्य जोखिमों में वृद्धि के कारण उच्च प्रीमियम का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, अधिक कवरेज राशि के लिए बीमित राशि के कारण उच्च प्रीमियम होता है। चयनित विशिष्ट कवरेज विकल्प, जैसे अतिरिक्त उपचार या बेहतर लाभ भी प्रीमियम को बढ़ा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, बीमाकर्ता प्रीमियम की गणना/संशोधन में बीमांकिक सिद्धांतों, और दावा अनुभव, रुग्णता (मॉरबिडीटी), चिकित्सा मुद्रास्फीति, चिकित्सा स्थितियों और पहले से मौजूद बीमारियों, प्रबंधन के कमीशन और व्यय, ब्याज दरों, पूंजी की लागत, उत्पाद सुविधाओं आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखते हैं।

विगत तीन वित्तीय वर्ष के लिए स्वास्थ्य बीमा कारोबार के संबंध में पॉलिसियों, प्रीमियम और दावों की संख्या का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

दिनांक 17.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2549 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(आंकड़े करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	पॉलिसियों की संख्या	प्रीमियम	भुगतान किए गए दावों की संख्या	भुगतान किए गए दावों की राशि
2023-24	2.68	1,07,681	2.69	83,493
2022-23	2.26	89,491	2.36	70,930
2021-22	2.26	73,051	2.19	69,498